(c) To fight the drug menace, the Government has enacted the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 which was amended in 1989 and the Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 which provides for several deterent actions to be taken against persons involved or engaged in Illicit Trafficking in drugs.

उत्तर प्रदेश को सभी कल्याण योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि

2164. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी कल्याण योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को आबंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कुल आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग हुआ है ; और

(ग) अप्रयुक्त धनराशि का क्या किया जाना है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को आबंटित राशि के ब्यौरे विवरण I में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) कुछ योजनाओं के संबंध में उपयोग की गई राशि, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, संलग्न विवरणों में दी गई हैं **(नीचे देखिए)**

(ग) पिछले वर्ष (वर्षों) की उपयोग न की गई राशि, यदि कोई हो तो बाद के वर्ष (वर्षों) में अनुदान की हकदारी से समायोजित/काट ली जाती है।

विवरण–I

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	1994–95 के दौरान उपयोग की गई धनराशि	1995–96 के दौरान उपयोग की गई धनराशि	1996–97 के दौरान उपयोग की गई धनराशि
1	2	3	4	5
	अनुसूचित जातियों का कल्याण			
1.	अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	6297.51	5839.03	5920.49
2.	अनुसूचित जाति विकास निगम	282.32	—	259.52
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक	54.00	15.00	—
4.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	—	31.82	—

1	2	3	4	5
5.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए	—	66.93	—
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योग्यता में उन्नयन	4.93	—	—
7.	कोचिंग और सम्बद्ध	22.16	17.03	26.09
8.	सफाई कर्मचारी एवं उनके आश्रितों र ष्ट्रीय मुक्ति और पुनर्वास योजना	4505.00	3816.00	3414.26
9.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	735.68	1685.24	2019.27
10.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	166.31	162.15	200.53
11.	विशेष शैक्षिक विक स कार्यक्रम	—	—	4.25
12.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 55 और अत्याचार निवारण अधि 1989	178.51	399.43	226.14
13.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदा	198.86	170.75	186.59
	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	70.41	104.08	90.39
2.	अनुच्छेद 245(1)	31.50	31.50	31.50
3.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	—	1.12	4.27
4.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	—	—	—
5.	लड़कियों के होस्टल	—	—	—
6.	लड़कों के लिए होस्टल	—	—	—
7.	आश्रम स्कूल	—	—	—
8.	राज्य टी.डी.सी.सी.	—	—	—

1	2	3	4	5
	विकलांग कल्याण			
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता की योजना	694.00	540.00	122.00
2.	विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना . .	162.74	562.03	83.89
3.	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहयता की योजना	59.41	75.33	45.51
4.	विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना	14.02	1.81	—
5.	जनशक्ति के लिए प्रमुस्तिष्क अंगघात और मानुसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना .	1.00	—	—
	समाज रक्षा			
1.	वृद्धों से संबंधित कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	79.82	90.72	112.65
2.	बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए योजना .	22.65	14.80	30.57
3.	समाज रक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता की सामान्य सहायता अनुदान	—	—	—
4.	किशोर समाज कुसमंजन के निवारण और रोकथाम की योजना . . .	45.15	—	—
5.	भिक्षावृत्ति रोकथाम की योजना . .	—	—	—
6.	नशीली दवा दुरूपयोग एवं रोकथाम की योजना	153.73	133.76	118.66
7.	शिशु गृह योजना . . .	1.27	3.94	—
	अल्पसंख्यक कल्याण			
1.	परीक्षापूर्व कोचिंग की योजना . .	32.41	36.72	12.33

1	2	3	4	5
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	1376.41	93.19	2432.23
3.	बहुक्षेत्रीय विकास योजना . .	—	13.00	16.50
पिछड़ा वर्ग कल्याण				
1.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम .	949.45	121.16	48.45

विवरण—2

(रुपए लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	1994–95	1995–96	1996–97
		के दौरान उपयोग की गई धनराशि		
1.	अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना के विशेष केन्द्रीय सहायता .	7756.34	6040.07	yet to be receive
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति . . .	720.26	1736.79	-do-
3.	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	72.29	162.96	-do-
4.	अनुसंधान और प्रशिक्षण . .	—	1.12	-do-
5.	राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग वित्त एवं विकास निगम	राज्य निगमों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इसमें संवितरित राशि के 77% का उपयोग कर लिया है ।		

मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी आदिम जनजातियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना

2165. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन जन जातियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विशेष पिछड़ी आदिम जनजातियों संबंधित सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन किया गया है ;

(ख) इन जनजातियों के लिए निर्धारित प्रीमियम की दर क्या थी तथा वर्ष 1994–95, 1995–96 और 1996–97 के दौरान इसके अन्तर्गत प्रत्येक जनजाति के बीमा किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा उनके लिए भुगतान की गई धनराशि सहित क्या है ; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत पहाड़ी कोरबा और बिरहोट जनजाति जैसी विशेष पिछड़ी आदिम जनजातियों के लाभान्वित परिवारों को जिलावार ब्यौरा क्या है ?